रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72

REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 482] नई दिल्ली, बुधवार, अक्तूबर 15, 1986/आश्विन 23, 1908

No. 482] NEW DELHI, WEDNESDAY, OCT. 15, 1986/ASVINA 23, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

कृषि मंत्रालय

(ग्रामीण विकास विभाग)

नई दिल्ली, 9 अक्तूबर, 1986

अधिसूचना

सा.का.नि. 1150(अ):--भूमि अर्जन (कम्पनी) नियम, 1963 का और संशोधन करने के लिए कतिपय नियमों का प्रारूप जो भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का 1) की धारा 55 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड(i) तारीख 4 सितम्बर, 1985 के पृष्ठ 1 और 2 पर कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 713(अ) तारीख 4 सितम्बर, 1985 के अधीन प्रकाशित किया गया था और ऐसे सभी व्यक्तियों से, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से जिसको उस राजपत्र की, जिसमें उक्त अधिसूचना प्रकाशित हुई थी, प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई, पैंतालीस दिन की अवधि की समाप्ति से पहले आक्षेप या सुझाव मांगे गए थे;

और उक्त राजपत्र की, जिसमें पूर्वोक्त प्रारूप नियम प्रकाशित हुए थे, प्रतियां 10 सितम्बर, 1985 को जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं ;

और केन्द्रीय सरकार ने उक्त प्रारूप नियमों की बाबत प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर विचार कर लिया है ;

अतः अब केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 55 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भूमि अर्जन (कम्पनी) नियम, 1963 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम भूमि अर्जन (कम्पनी) (संशोधन) नियम, 1986 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे

2. भूमि अर्जन (कम्पनी) नियम, 1963 में ;—

(i) नियम 3 के उपनियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(2) समिति में निम्नलिखित होंगे :—

(i) सरकार के राजस्व, कृषि और उद्योग विभागों के सचिव या उक्त विभागों में से प्रत्येक के ऐसे

अन्य अधिकारी जिन्हें समुचित सरकार नियुक्त करे,

(ii) अन्य ऐसे सदस्य, जिन्हें समुचित सरकार ऐसी अवधि के लिए नियुक्त करे जो, आदेश द्वारा, विनिर्दिष्ट की जाए, और

(iii) विभाग का सचिव, या उसके द्वारा नामनिर्देशित कोई अधिकारी जो उन प्रयोजनों का संव्यवहार करता हो जिनके लिए कम्पनी भूमि का अर्जन करने की प्रस्थापना करती है।";

(ii) नियम 6 के उपनियम (1) में, "अत्यावश्यकता की किसी दशा में, जहां किसी भूमि का कब्जा धारा 17 के अधीन लेने का प्रस्ताव किया जाता है" शब्दों का लोप किया जाएगा;

(iii) नियम 9 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

"9. कम्पनी के संबंध में विशेष उपबन्ध :—
जब किसी कम्पनी द्वारा किसी भूमि के अर्जन के लिए कोई आवेदन समुचित सरकार को किया जाता है, तब ऐसा अर्जन साधारणतया अधिनियम के भाग 7 के उपबन्धों के अनुसार किया जाएगा।"

[फा.सं. 12011/32/19/84-(एल आर डी)]
जे.सी.जेटली, अतिरिक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) तारीख 22-6-1963 के पृष्ठ 487 से 490 पर खाद्य और कृषि मंत्रालय (कृषि विभाग) की सरकारी अधिसूचना सं.सा.का.नि. 1073, तारीख 22-6-1963 के द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Rural Development)

New Delhi, the 9th October, 1986

NOTIFICATION

G.S.R. 1150(E).—Whereas the draft rules further to amend the Land Acquisition (Companies) Rules, 1963 were published as required by sub-section (2) of section 55 of the Land Acquisition Act, 1894 (1 of 1894) at page 2 of the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), dated the 4th September, 1985, under the notification of the Ministry of Agriculture and Rural Development (Department of Rural Development) No. G.S.R. 713(E), dated the 4th September, 1985 inviting objections or suggestions from all persons likely to be affected thereby, before the expiry of the period of forty-five days from the date on which the copies of the Official Gazette in which the said notification was published were made available to the public;

And whereas the copies of the said Gazette in which the aforesaid draft rules were published were made available to the public on the 10th September, 1985;

And whereas the objections and suggestions recieved in respect of the said draft rules have been taken into consideration by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 55 of the said Act, the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Land Acquisition (Companies) Rules, 1963, namely:—

1. (1) These rules may be called the Land Acquisition (Companies) (Amendment) Rules, 1986.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Land Acquisition (Companies) Rules, 1963,—

(i) for sub-rule (2) of rule 3, the following shall be substituted, namely:—

"(2) The Committee shall consist of:—

(i) the Secretaries to the Government of the Departments of Revenue, Agriculture and Industries or such other officers of each of the said Departments as the appropriate Government may appoint,

(ii) such other members as the appropriate Government may appoint for such term as that Government may, by order, specify, and

(iii) the Secretary to the Department or any officer nominated by him dealing with the purposes for which the company proposes to acquire the land.";

(ii) in sub-rule (1) of rule 6, the words, "in any case of urgency where possession of any land is proposed to be taken under section 17", shall be omitted;

(iii) for rule 9, the following rule shall be substituted, namely :—

"9. Special provision in relation to a company—
When an application is made to the appropriate Government for acquisition of any land by a company, such acquisition shall ordinarily be made in accordance with the provisions of Part VII of the Act".

[File No. 12011|32|19|84-(LRD)]
J. C. JETLI, Addl. Secy.

NOTE.—The principal rules were published in the Gazette of India Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) dated the 22nd June, 1963 at pages 487 to 490 vide Government of India notification, in the Minstry of Food and Agriculture, Department of Agriculture, No. G.S.R. 1973 dated the 22nd June, 1963.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1986